संख्या–158 / XXIV(1) / 2011–60 / 2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून: दिनांक: 09 फरवरी,2011

विषयः– **शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3511 / आर0टी0ई0 नियमावली / 2010–11, दिनांक 27.01.2011 के क्रम मे, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार अधिनियम की धारा (2) (n) (iv) में परिभाषित विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति का निम्नवत गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन का उद्देश्यः–

1.1 6–14 वय वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा प्राविधानित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

1.2 विद्यालय प्रबन्धन में अभिभावक एवं शिक्षकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

1.3 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिगत छात्र नामांकन, उनके विद्यालय में ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को प्राप्त करने हेतु समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।

1.4 सरकार व अन्य स्रोतों से विद्यालय को प्राप्त अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के समुचित उपयोग हेतु प्रयास करना।

1.5 विद्यालय विकास हेतु समुदाय में विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना एवं संवेदनशीलता विकसित करना।

(2) विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठनः–

2.1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुच्छेद 2(n)(iv) में उल्लिखित विद्यालयों को छोड़कर सभी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों (जैसी भी स्थिति हो) में विद्यालय प्रबन्धन समिति निम्नवत् गठित की जाएगीः–

(i) प्राथमिक विद्यालयः– विद्यालय प्रबन्धन समिति – प्राथमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01–05)।

(ii) उच्च प्राथमिक विद्यालयः– विद्यालय प्रबन्धन समिति – प्रारम्भिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01–08 अथवा कक्षा 06–08 जैसी भी स्थिति हो)।

(iii) हाई स्कूलः–

(क) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0टी0ई0 के अन्तर्गत)—प्रारम्भिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01—08 अथवा कक्षा 06—08 जैसी भी स्थिति हो)।

(ख) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0एम0एस0ए0 के अन्तर्गत)— उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 09—12) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत पूर्व से गठित।

(iv) इण्टरमीडिएट कॉलेजः—

(क) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0टी0ई0 के अन्तर्गत) — प्रारम्भिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01—08 अथवा कक्षा 06—08 जैसी भी स्थिति हो)।

(ख) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0एम0एस0ए0 के अन्तर्गत)— माध्यमिक स्तर (कक्षा 09—12) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत पूर्व से गठित।

उक्त 2(iii) हाईस्कूल एवं 2(iv) इण्टरमीडिएट कॉलेज के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रारम्भिक शिक्षा स्तर तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए पृथक—पृथक विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ गठित की जाएँगी।

(3) विद्यालय प्रबन्धन समिति की संरचनाः—

3.1 विद्यालय प्रबन्धन समिति के निम्नलिखित दो मुख्य अंग होंगेः—

(i) आम सभा।

(ii) कार्यकारी परिषद्।

3.2 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभाः—

3.2.1 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

(i) विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माता एवं पिता, माता—पिता के अन्यत्र निवास करने अथवा माता—पिता के न होने की स्थिति में बच्चे का एक अभिभावक।

(ii) विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, जिसमें विद्यालय स्थित है, के ग्राम प्रधान, उपप्रधान व निर्वाचित सदस्य तथा शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, के निर्वाचित सदस्य।

(iv) सम्बन्धित ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव—पदेन सदस्य।

3.3. विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के पदाधिकारी एवं चयन प्रक्रियाः—

3.3.1 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के पदाधिकारी निम्नवत होंगेः—

(i) अध्यक्ष।

(ii) उपाध्यक्ष।

(iii) सदस्य सचिव— प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक न होने की स्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक।

3.3.2 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के उक्त पदाधिकारियों का चुनाव आम सभा की प्रथम बैठक में किया जाएगा। आम सभा के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न कराने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।

3.3.3 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए केवल विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता—पिता ही उम्मीदवार हो सकेंगे।

3.3.4 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से किया जाएगा। आम सभा की प्रथम बैठक शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 03 (तीन) सप्ताह के

अन्दर आयोजित की जाएगी। मात्र प्रथम बार के लिये इस शासनादेश के लागू होने के तुरन्त बाद फरवरी–मार्च, 2011 में ही यह समस्त समितियों का गठन कर लिया जायेगा। तदोपरान्त अप्रैल,2012 से सत्र प्रारम्भ होने पर हर वर्ष समिति गठित होगी। आम सभा की प्रथम बैठक हेतु सदस्य सचिव द्वारा बैठक की तिथि से 01 सप्ताह पूर्व आम सभा के सभी सदस्यों को बैठक का एजेण्डा एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ लिखित रूप में प्रेषित की जाएँगी। व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माध्यम से भी माता–पिता एवं अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। इस आशय की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

3.3.5 आम सभा की प्रथम बैठक में पदाधिकारियों के चुनाव कराये जाने के दृष्टिकोण से बैठक की तिथि को आम सभा के कुल सदस्यों में से 30 प्रतिशत सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

3.3.6 आम सभा की प्रथम बैठक निर्धारित तिथि व समय पर प्रारम्भ होगी। सदस्य सचिव द्वारा बैठक की गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण होने पर बैठक प्रारम्भ करते हुए सभी सदस्यों को विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन, उद्देश्य, कार्य–दायित्व एवं पदाधिकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी। तत्पश्चात अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग नामांकन पत्र भरवाये जाएँगे। नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवारों के नाम आम सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराने के आशय से सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु नामों की उद्घोषणा की जाएगी तथा नामों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। उसी समय मतदान एवं मतगणना हेतु समय निर्धारित करते हुए सभी सदस्यों को मतदान एवं मतगणना का समय सूचित किया जायेगा।

3.3.7 चुनाव हेतु निर्धारित समय पर आम सभा के सदस्यों द्वारा सादे कागज पर गुप्त रूप से अपनी अभिरूचि के अनुरूप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु घोषित उम्मीदवार का नाम अंकित कर मतदान हेतु निर्धारित पेटिका में डाल दिया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा आम सभा के सदस्यों की आम राय पर मतगणना एवं निर्वाचित सदस्यों की उद्घोषणा हेतु आम सभा के किन्हीं 02 (दो) सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित सदस्यों के समक्ष मतपेटिका को खोलकर मतों की गिनती की जाएगी तथा प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों को पंजिका में अभिलिखित करते हुए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

3.3.8 आम सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु अपनायी गई चुनाव प्रक्रिया की सम्पूर्ण कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा कार्यवाही पंजिका में उसी समय अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यवाही पंजिका पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। कार्यवाही पंजिका भविष्य में सदस्यों के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, जिसे विद्यालय प्रबन्धन समिति के आम सभा के सदस्यों द्वारा अवलोकन हेतु माँगे जाने पर सदस्य सचिव द्वारा उन्हें अवलोकित करा दिया जायेगा।

3.4 आम सभा के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल:–

3.4.1 आम सभा के सदस्यों तथा निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः शैक्षणिक सत्र के अनुरूप एक वर्ष का होगा। अपवादस्वरूप शैक्षिक सत्र 2010–11 में गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति के निर्वाचित

पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 मार्च,2012 तक होगा, बशर्ते कि उनके पाल्य 31 मार्च,2012 तक उस विद्यालय में अध्ययनरत हों।

3.4.2 उक्त 3.2.1(i) के सम्बन्ध में किसी शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं के माता एवं पिता, माता एवं पिता के अन्यत्र निवास करने अथवा माता एवं पिता के न होने की स्थिति में बच्चे का एक अभिभावक विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा का स्वतः ही सदस्य बन जायेगा। किन्तु प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर आम सभा के उन माता एवं पिता अथवा अभिभावक सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, जिनके पाल्य विद्यालय से शिक्षा पूर्ण कर चुके होंगे अथवा अन्य विद्यालय में नामांकित हो गये होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे माता एवं पिता अथवा अभिभावकों की सदस्यता भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, जिनके पाल्य सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित होने के बावजूद लगातार 03 (तीन) माह से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हों परन्तु सम्बन्धित बच्चे के पुनः विद्यालय में नामांकित होने पर सम्बन्धित माता एवं पिता अथवा अभिभावक की सदस्यता पुनः बहाल हो जायेगी।

3.4.3 कोई भी माता एवं पिता सदस्य एक से अधिक बार आम सभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका पाल्य उस विद्यालय में तत्समय अध्ययनरत हो।

3.4.4 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के दो–तिहाई सदस्यों द्वारा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाएगा तथा वे अगले तीन वर्षों के लिए इन पदों पर चुनाव हेतु आम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनर्ह घोषित कर दिये जाएंगे।

3.4.5 अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप हटाये जाने अथवा उनके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव, पद रिक्त होने की तिथि से एक माह के अन्तर्गत आम सभा की विशेष बैठक आहूत कर नियम 3.3 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किये जाएँगे। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा आम सभा के सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी।

3.5 <u>विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की बैठकों का आयोजनः–</u>

3.5.1 आम सभा की बैठकें वर्ष में निम्नवत् आयोजित की जायेंगी :–

(i) प्रथम बैठक शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 03 (तीन) सप्ताह के अन्दर आयोजित की जाएगी।

(ii) द्वितीय बैठक 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को आयोजित की जाएगी।

(iii) तृतीय बैठक शैक्षणिक सत्र समाप्ति एवं वार्षिक छात्र मूल्यांकन समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को आयोजित की जायेगी।

(iv) आम सभा के पदाधिकारियों के पद किन्हीं कारणों से मध्यावधि में रिक्त होने अथवा विद्यालय हित में किसी प्रस्ताव पर आवश्यक विचार–विमर्श हेतु आम सभा के कम से कम दो– तिहाई सदस्यों द्वारा विशेष/आकस्मिक बैठक आयोजित करने हेतु अनुरोध किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आम सभा की तीन से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।

3.5.2 आम सभा की सामान्य बैठक अथवा विशेष/आकस्मिक बैठक बुलाये जाने हेतु सदस्य सचिव द्वारा बैठक की तिथि से 01 सप्ताह पूर्व आम सभा के सभी सदस्यों को बैठक का एजेण्डा एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ लिखित रूप में प्रेषित की जाएंगी। व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिकोण से विद्यालय में अध्ययनरत

छात्र/छात्राओं के माध्यम से भी उनके माता-पिता एवं अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। बैठक सम्बन्धी सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

3.5.3 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की सभी बैठकों में आम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 30 प्रतिशत माता-पिता अथवा अभिभावक सदस्यो का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

3.5.4 आम सभा की बैठकों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से बैठक की तिथि पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा आमसभा की बैठक का संचालन किया जायेगा।

3.5.5 आम सभा विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास के किसी भी मामले में विचार-विमर्श/विशेषज्ञ परामर्श के लिए किसी विशेषज्ञ को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है (उदाहरणार्थ- विद्यालय के सेवित क्षेत्र में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोई विख्यात शिक्षाविद्, शिक्षा हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि के सदस्य)। आम सभा की राय पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदस्य सचिव ऐसे सदस्यों को बैठक की तिथि पर उपस्थित होने हेतु लिखित रूप से आमंत्रित करेंगे, किन्तु आमंत्रित सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

3.5.6 आम सभा की समय-समय पर आयोजित बैठकों से सम्बन्धित कार्यवृत्त एवं अभिलेखों का रख-रखाव सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा इन बैठकों में लिये गए निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।

3.5.7 विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा द्वारा विद्यालय की विद्यालय विकास योजना का निर्माण, वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन एवं विद्यालय विकास हेतु गत् वर्ष में किये गए कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय व्यय के सम्बन्ध में समीक्षा, विद्यालय कार्यप्रणाली में सुधार, पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा विद्यालयी शिक्षा विभाग/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति एवं निर्देशों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित बिन्दुओं को आवश्यकतानुसार बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित किया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों को भी आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

3.6 <u>विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद्:-</u>

3.6.1 विद्यालय प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा आम सभा की बैठकों में लिए गए निर्णयों को समयान्तर्गत क्रियान्वित करने हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति की एक कार्यकारी परिषद् निम्नवत् गठित की जायेगी:-

(i) अध्यक्ष-पदेन अध्यक्ष आम सभा।

(ii) सदस्य सचिव-पदेन सदस्य सचिव आम सभा ।

(iii) सामान्य सदस्य-सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, उपप्रधान तथा वार्ड के निर्वाचित सदस्य जिसमें विद्यालय स्थित है, अथवा सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के उस वार्ड के निर्वाचित सदस्य, जिसमें विद्यालय स्थित है

(iv) सामान्य सदस्य– विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की बैठक में माता एवं पिता सदस्यों में से निम्नानुसार (जैसी भी स्थिति) निर्वाचित सदस्य होगें:–

(i) 60 अथवा कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में–08 निर्वाचित सदस्य।

(ii) 61 से 180 छात्र संख्या वाले विद्यालयों में–10 निर्वाचित सदस्य।

(iii) 181 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में–12 निर्वाचित सदस्य।

(v) सम्बन्धित ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव–पदेन सदस्य।

3.6.2 उपरोक्त सभी बातों के होते हुए भी विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद् मे 50 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया जाएगा।

3.6.3 यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता–पिता कार्यकारी परिषद् में चुनकर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आम सभा द्वारा उक्त वर्ग के बच्चों के माता–पिता में से प्रत्येक वर्ग के एक सदस्य को विशेष रूप से नामित किया जाएगा।

3.7 विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद की बैठकों का आयोजनः–

3.7.1 विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद् की मासिक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को विद्यालय में मध्याहन् भोजन के उपरान्त अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। प्रथम शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में यह बैठक माह के प्रथम शुक्रवार को आयोजित की जाएगी।

3.7.2 सदस्य सचिव द्वारा बैठक की सूचना एवं एजेण्डा सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

3.7.3 कार्यकारी परिषद के 30 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर अध्यक्ष की अनुमति से आकस्मिक बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।

3.7.4 विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद् की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक में 30 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति पर ही बैठक की गणपूर्ति/कोरम पूर्ण माना जाएगा।

3.7.5 बैठक की कार्यवाही को सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ एक पंजिका में अभिलिखित किया जाएगा। कार्यकारी परिषद् की बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णयों को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी जन–सामान्य की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

3.7.6 सदस्य सचिव द्वारा बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका एवं अभिलेखों का रख–रखाव किया जाएगा तथा किसी भी सदस्य द्वारा पंजिका/ अभिलेखों के अवलोकन हेतु अनुरोध किए जाने पर सम्बन्धित अभिलेख उन्हें अवलोकित कराए जाएँगे।

(4) विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्य एवं दायित्वः–

4.1 विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 21(2) के अनुसार निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन किया जाएगाः–

(अ) विद्यालय के क्रियाकलापों का अनुश्रवण।

(ब) विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना एवं संस्तुति देना।

(स) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में अनुश्रवण करना।

(द) राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति एवं निर्देशों का सम्पादन करना।

4.2 उक्त के क्रम में कार्यकारी परिषद् विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की ओर से निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने के लिए अधिकृत होगी:–

(i) शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट रोकने हेतु अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कदम उठाना।

(ii) छात्र–छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन एवं प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा करना तथा निदानात्मक शिक्षा हेतु रणनीति तैयार करना।

(iii) विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना/लागू करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

(iv) सरकार एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान का नियमानुसार उपभोग सुनिश्चित करना।

(v) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित निःशुल्क सुविधायें पात्र छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराना।

(vi) मध्याहन् भोजन योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना व भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुश्रवण करना।

(vii) विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए स्वच्छ पेयजल, समुचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा स्कूल परिक्षेत्र में पानी की उपलब्धता एवं शौचालयों की नियमित सफाई व रख–रखाव के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(viii) विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की नियमित स्वास्थ्य जाँच कराना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड तैयार करवाना।

(ix) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिह्नांकन कर उनके लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना।

(x) विद्यालय में आयोजित होने वाले पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप यथा—बाल मेला, विज्ञान प्रदर्शनी तथा खेल–कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहभागी बनकर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(xi) निर्माण कार्यो के लिए सर्व शिक्षा अभियान की गाइड लाइन्स के अध्याय–I के नियम–1.9.8 तथा अध्याय–VII के नियम 7.1.6 तथा 7.1.7 में उल्लिखित प्रणाली के अनुसार प्रस्ताव पारित कर बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जायेगा।

(xii) विद्यालय भवन निर्माण, मरम्मत कार्य एवं अन्य निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करना।

(xiii) विद्यालय के लिए साज–सज्जा, फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था करना।

(xiv) विद्यालय अनुदान तथा रख–रखाव अनुदान के उपभोग का अनुश्रवण करना।

(xv) छात्र/छात्राओं में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विद्यालय में पुस्तकालय का विकास एवं समुचित उपयोग करवाना।

(xvi) विद्यालय प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा में प्रस्तुत करना तथा उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति तथा विद्यालय को उपलब्ध करवाना।

(xvii) राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्य सम्पादित करना।

(xviii) विद्यालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों के अनुपस्थित एवं समयबद्ध न होने की स्थिति में ऐसे दृष्टान्तों को उप-खण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यकारी परिषद की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 30 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित उप-खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह के अन्तर्गत जाँच कर आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी तथा एक प्रति सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति को भी प्रेषित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच आख्या के आधार पर दो माह के अन्तर्गत शिकायती प्रकरण का निस्तारण करते हुए सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति को भी सूचित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच आख्या के आधार पर शिक्षक के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सही पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक के विरूद्ध सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उप-खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जाँच से सन्तुष्ट न होने की दशा में विद्यालय प्रबन्धन समिति, कार्यकारी परिषद की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 30 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात अध्यक्ष के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी अथवा शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के प्रभावी कियान्वयन हेतु गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस0सी0पी0सी0आर0) के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(xix) अति दुर्गम/दुर्गम क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा उस विद्यालय में कार्यरत किसी शिक्षक द्वारा विद्यालय विकास एवं छात्रों के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को उन्नत करने हेतु किए गये विशेष प्रयासों के फलस्वरूप उस अध्यापक की लिखित सहमति पर उस विद्यालय से स्थानान्तरण न किये जाने हेतु अपनी अनुशंसा/संस्तुति सम्बन्धी प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर सकती है, जिस पर विभाग द्वारा सम्बन्धित शिक्षक का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों से इतर अगले एक सत्र तक के लिए स्थगित किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

(xx) सुगम क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय के शिक्षक के कार्य से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने की दशा में उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे मामलों को शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर छात्र मूल्यांकन परिणाम प्राप्त होने पर आयोजित होने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति की आमसभा की बैठक में ही लिया जा सकेगा।

(5) <u>विद्यालय प्रबन्धन समिति के वित्तीय संसाधनः-</u>

5.1 विद्यालय विकास हेतु वित्तीय संसाधन निम्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकेंगेः-

(i) सरकार से प्राप्त अनुदान, विद्यालय अनुदान, रखरखाव अनुदान, भवन निर्माण/मरम्मत अनुदान अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य अनुदान।

(ii) गैर सरकारी संगठन अथवा स्थानीय निकायों से प्राप्त सहायता राशि।

(iii) अभिभावकों / समुदाय द्वारा विद्यालय विकास हेतु प्रदान किया जाने वाला स्वैच्छिक चंदा।

(iv) मेले अथवा अन्य सामुदायिक प्रयोजनों से प्राप्त शुल्क।

(v) विद्यालय विकास हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री राज्य सरकार द्वारा प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत क्रय की जायेगी।

(6) <u>विद्यालय प्रबन्धन समिति के आय–व्यय लेखों का ऑडिटः–</u>

6.1 सदस्य सचिव द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति के वार्षिक लेखा–जोखा को आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा सोशल ऑडिट एवं सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था को सामान्य / विशेष ऑडिट हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

6.2 विद्यालय प्रबंधन समिति की निधि का एक बैंक खाता खोला जाएगा, जिसे कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जाएगा। अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव के बदले जाने की स्थिति में नये अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर बैंक को सूचित किए जायेंगे।

(7) <u>विद्यालय विकास योजना का निर्माणः–</u>

7.1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 22(1) के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाएगा तथा इस प्रकार तैयार की गई योजना उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले योजनागत् एवं अन्य अनुदानों के लिए आधार होगी।

7.2 विद्यालय विकास योजना के निर्माण में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(i) विद्यालय विकास योजना का निरूपण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से न्यूनतम 03 माह पूर्व कर लिया जायेगा।

(ii) विद्यालय विकास योजना 03 वर्ष हेतु तैयार की जायेगी तद्नुसार प्रति वर्ष उप योजना के रूप में वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

7.3 विद्यालय विकास योजना में निम्नवत विवरण होंगेः–

(अ) प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित कक्षावार छात्र नामांकन।

(ब) विशिष्टीकृत मानकों के अनुरूप कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक–पृथक अध्यापक (प्रधानाध्यापक सहित), अतिरिक्त अध्यापक, विषय अध्यापक, अंशकालिक अध्यापकों की 03 वर्ष तक की अनुमानित संख्या का विवरण।

(स) विशिष्टीकृत मानकों के अनुरूप 03 वर्षों में अतिरिक्त भौतिक आवश्यकता यथा भवन, उपकरण इत्यादि का विवरण।

(द) बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराये जाने एवं आयु–संगत कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 03 वर्ष के लिए वांछित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का कार्यवार विवरण दिया जायेगा, जिसमें अन्य वित्तीय संसाधन, जो अधिनियम में उल्लिखित दायित्वों की पूर्ति हेतु विद्यालय के लिए अपेक्षित होंगे, का विवरण भी सम्मिलित होगा।

7.4 विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर के उपरान्त उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(8) विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षणः–

8.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर विद्यालय प्रबन्धन समिति के आम सभा के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा। ताकि विद्यालय प्रबन्धन में उनकी क्षमताओं का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके।

(9) विद्यालय प्रबन्धन समिति के लिए प्रोत्साहनः–

9.1 प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रोत्साहन योजना बनाई जायेगी तथा चिह्नित विद्यालय प्रबन्धन समिति को विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

(10) विविधः–

10.1 राज्य सरकार को विद्यालय प्रबन्धन समिति के लिए निर्धारित नियमों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार होगा।

10.2 विद्यालय प्रबन्धन समिति ग्राम पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी होगी एवं आम सभा की बैठकों के कार्यवृत्त एवं वार्षिक आख्या अध्यक्ष आम सभा एवं सदस्य सचिव आम सभा के माध्यम से शिक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यो का अनुश्रवण करने का अधिकार होगा।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से अतिक्रमित किया जाता है।

कृपया उक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. समस्त जिला परियोजना अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।